संख्या-82/2015/1590/92-1-2015-15(अधि0)/2015

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2015

विषय:- श्री जय प्रकाश सिंह, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2- रायबरेली के स्वयं की चिकित्सा हेतु चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9555/ग्रा0अ0वि0/बजट/चि0कि0 अग्रिम/रायबरेली/2014-15, दिनांक 30-03-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-474/पांच-6-14-1082-87टीसी, दिनांक 04-3-2014 के माध्यम से अधिसूचित उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानो के अंतर्गत श्री जय प्रकाश सिंह, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, रायबरेली के एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में गुर्दा प्रत्यारोपण का उपचार कराये जाने हेतु संस्थान द्वारा दिये गये अनुमानित व्यय आगणन रू0-12,20,000.00 (रूपये बारह लाख बीस हजार मात्र) की 75 प्रतिशत धनराशि रू0-9,15,000.00 (रूपये नौ लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि चिकित्सा अग्रिम के रूप में एतद्द्वारा स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इनके उपयोग किये जाने के तत्काल पश्चात, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के अपश्चात् प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि पूर्ववर्ती अगिम समायोजित न कर लिया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी दिनांक 20-9-11 को अधिसूचित मूल नियमावली, 2011 के परिशिष्ट-'घ' में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(5) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए 04 महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किस्तों में काट ली जायेगी, जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।"

5- उपर्युक्त आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति/सहमति तथा वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जा रहा है

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-82/2015/1590(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, रायबरेली।
4- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली।
5- श्री जय प्रकाश सिंह, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, रायबरेली।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in